



कार बेकाबू होकर एनएच 48 पर पलटी, 12 साल के बच्चे की मौत, माता -पिता समेत 5 लोग घायल

झारखण्ड। उदयपुर से अहमदाबाद की ओर जा रही एक कार नेशनल हाईवे 48 पर बेकाबू होकर पलट गई। कार 8 फीट गहरी खाई में जा गिरी। एक्सीडेंट में कार सवार 12 साल के एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसके माता - पिता समेत एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए। ये सभी लोग एम्पी के नीमच के रहने वाले हैं।

बिछीवाड़ा थाने के हेड कांस्टेबल तुलसीराम परमार ने बताया की एक वेगेनार कार उदयपुर से अहमदाबाद जा रही थी। एनएच 48 पर बरोटी पैट्रोल पंप के पास जाते ही कार बेकाबू होकर पलट गई। इसके बाद कार 8 फीट गहरी खाई में जा गिरी। घटना के बाद हाईवे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बिछीवाड़ा थाने से हेड



कांस्टेबल तुलसीराम परमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। नितिन (12) पुत्र

मौके पर पीठ हो गई। एक्सीडेंट में नितिन के पिता धर्मराज (29) पुत्र शंकरलाल कुमावत, मां टीना (27), कार ड्राइवर राजेंद्र कुमावत, उसकी पत्नी भवाना (21), पुरुषोत्तम (19) पुत्र बाल मुकुंद कुमावत और रूप से घायल हो गए। कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला। सभी घायलों को जगरात के हिम्मतगर हाँस्पिटल लेकर गया है, जहां उनका इलाज करवाया जा रहा है। हेड कांस्टेबल तुलसीराम परमार ने बताया की मृतक तितन कुमावत के शव को बिछीवाड़ा हाँस्पिटल के मोर्चे में रखवाया गया है। घटना को लेकर नीमच एम्पी में परिवार को सूचना दे दी है। परिवार के लोगों के आने के बाद सूचना दे दी गई है।

बिना सूचना के गलियाकोट-उदयपुर बस सेवा रुद्धि बाधित, मुसाफिर हुए परेशान

झारखण्ड। राजस्थान परिवहन निगम झारखण्ड-उदयपुर बस सेवा बाधित रहने से कई मुसाफिरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। होली का त्यौहार के समाप्त के साथ ही गलियाकोट-उदयपुर बस सेवा बाधित होने से सागवाड़ा रोडवेल बस डिपो में मुसाफिरों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। गलियाकोट-उदयपुर बस सेवा बाधित होने से सागवाड़ा रोडवेल बस डिपो के टिकट बुकिंग सेंटर पर जानकारी लेने पर झारखण्ड डिपो से बस निरस्त होना बताया गया। वही झारखण्ड बस डिपो के ऑपरेशन मेनेजर नरेश मीणा ने बताया कि सोमवार को गलियाकोट-उदयपुर बस सेवा बाधित है क्योंकि इस बस में कुछ तकनीकी कारणों से बस का कार्य चल रहा है जिसकी वजह से सोमवार को बस सेवा बाधित है। मंगलवार तीन से गलियाकोट-उदयपुर बस डिपो में उदयपुर जाने वाले मुसाफिर निजी बसों के लिए चक्रकर काटते नजर आये।



शहर के डेंडोरवाड़ा में टमाटर से राढ़

सागवाड़ा।

होली के पर्व को लेकर नगर के डेंडोरवाड़ा में सोमवार पर टमाटर फेंक रहे थे। जिसे देखने के लिए नगर क्षेत्र से शाम को टमाटर की राढ़ खेली गई। टमाटर की राढ़ में

आदिवासी समाज सहित विभिन्न मोहल्लों के युवा एक-दूसरे पर टमाटर फेंक रहे थे। जिसे देखने के लिए नगर क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।

सदर थाने के हवालात से भाग बंदी, महिला संतरी को धक्का देकर गेट कूदकर भाग, दिनभर पुलिस दूंघती रही, रात को दर्ज करवाया केस

झारखण्ड। तलबार लहराकर लोगों को डराने धमकाने के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी रविवार को पुलिस थाने के हवालात से भाग गया। महिला संतरी की धक्का देकर थाने के पीछे के गेट से कूदकर आरोपी भाग। पुलिस दिनभर आरोपी की तलाश करती रही। देर रात तक उसका पता नहीं लगा तब जाकर कोतवाली थाने में केस दर्ज करवाया।

कोतवाली थाना एसआई अमृतलाल ने बताया की सदर थाना महिला कांस्टेबल

तुलसी यादव ने केस दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया है की रविवार को वह इस्ती पर थी। थाने के गेट पर संतरी तैनात थी। थाने के हवालात की सफाई के दौरान आर्म्स एन्ट के आरोपी अतुल (20) पुत्र शांतिलाल कोटेड निवासी पाल देवल को बाहर निकालकर सफाई की जा रही थी। उसी समय आरोपी अतुल कोटेड ने चक्रमा देकर उसे धक्का मारा। धक्का लगाने से वह नीचे गिरी और आरोपी भागने लगा। चिकित्सा पर थाने के दूसरे पुलिसकर्मी दौड़कर आए,

लेकिन आरोपी अतुल थाने के पीछे के गेट को कूदकर भाग गया। आरोपी के बागाने के बाद पुलिस पाली चारी करती रही, लेकिन आरोपी अतुल कोटेड निवासी पाल देवल को तलबार लेकर धूमे हुए 17 मार्च को पकड़ा था। दूसरे दिन 18 मार्च को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए। जेल भेजने से पहले बंदी की कोविड जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट आने के इंतजाम उसे थाने के हवालात में रखा गया था। सफाई के दौरान महिला संतरी को भागने का केस दर्ज करवाया है। मालाले की जांच एसआई अमृतलाल की हत्या की आरोपी अतुल कोटेड निवासी पाल देवल को तलबार लेकर धूमे हुए 17 मार्च को पकड़ा था। दूसरे दिन 18 मार्च को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए। जेल भेजने से पहले बंदी की कोविड जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट आने के इंतजाम उसे थाने के हवालात में रखा गया था। सफाई के दौरान महिला संतरी को भागने का केस दर्ज करवाया है।

तुलसी यादव ने केस दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया है की रविवार को वह इस्ती पर थी। थाने के गेट पर संतरी तैनात थी। थाने के हवालात की सफाई के दौरान आर्म्स एन्ट के आरोपी अतुल कोटेड ने चक्रमा देकर उसे धक्का मारा। धक्का लगाने से वह नीचे गिरी और आरोपी भागने लगा। चिकित्सा पर थाने के दूसरे पुलिसकर्मी दौड़कर आए,

लेकिन आरोपी अतुल थाने के पीछे के गेट को कूदकर भाग गया। आरोपी के बागाने के बाद पुलिस पाली चारी करती रही, लेकिन आरोपी अतुल कोटेड निवासी पाल देवल को तलबार लेकर धूमे हुए 17 मार्च को पकड़ा था। दूसरे दिन 18 मार्च को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए। जेल भेजने से पहले बंदी की कोविड जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट आने के इंतजाम उसे थाने के हवालात में रखा गया था। सफाई के दौरान महिला संतरी को भागने का केस दर्ज करवाया है।

तुलसी यादव ने केस दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया है की रविवार को वह इस्ती पर थी। थाने के गेट पर संतरी तैनात थी। थाने के हवालात की सफाई के दौरान आर्म्स एन्ट के आरोपी अतुल कोटेड ने चक्रमा देकर उसे धक्का मारा। धक्का लगाने से वह नीचे गिरी और आरोपी भागने लगा। चिकित्सा पर थाने के दूसरे पुलिसकर्मी दौड़कर आए,

लेकिन आरोपी अतुल थाने के पीछे के गेट को कूदकर भाग गया। आरोपी के बागाने के बाद पुलिस पाली चारी करती रही, लेकिन आरोपी अतुल कोटेड निवासी पाल देवल को तलबार लेकर धूमे हुए 17 मार्च को पकड़ा था। दूसरे दिन 18 मार्च को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए। जेल भेजने से पहले बंदी की कोविड जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट आने के इंतजाम उसे थाने के हवालात में रखा गया था। सफाई के दौरान महिला संतरी को भागने का केस दर्ज करवाया है।

तुलसी यादव ने केस दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया है की रविवार को वह इस्ती पर थी। थाने के गेट पर संतरी तैनात थी। थाने के हवालात की सफाई के दौरान आर्म्स एन्ट के आरोपी अतुल कोटेड ने चक्रमा देकर उसे धक्का मारा। धक्का लगाने से वह नीचे गिरी और आरोपी भागने लगा। चिकित्सा पर थाने के दूसरे पुलिसकर्मी दौड़कर आए,

लेकिन आरोपी अतुल थाने के पीछे के गेट को कूदकर भाग गया। आरोपी के बागाने के बाद पुलिस पाली चारी करती रही, लेकिन आरोपी अतुल कोटेड निवासी पाल देवल को तलबार लेकर धूमे हुए 17 मार्च को पकड़ा था। दूसरे दिन 18 मार्च को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए। जेल भेजने से पहले बंदी की कोविड जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट आने के इंतजाम उसे थाने के हवालात में रखा गया था। सफाई के दौरान महिला संतरी को भागने का केस दर्ज करवाया है।

तुलसी यादव ने केस दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया है की रविवार को वह इस्ती पर थी। थाने के गेट पर संतरी तैनात थी। थाने के हवालात की सफाई के दौरान आर्म्स एन्ट के आरोपी अतुल कोटेड ने चक्रमा देकर उसे धक्का मारा। धक्का लगाने से वह नीचे गिरी और आरोपी भागने लगा। चिकित्सा पर थाने के दूसरे पुलिसकर्मी दौड़कर आए,

लेकिन आरोपी अतुल थाने के पीछे के गेट को कूदकर भाग गया। आरोपी के बागाने के बाद पुलिस पाली चारी करती